राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 737वी बैठक दिनांक 13.07.2022 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 737वी बैठक दिनांक 13.07.2022 को श्री अरूण कुमार भट्ट, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को पर्यावरण परिसर, भोपाल में सम्पन्न हुई बैठक में निम्न सदस्य स्वयं/विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम उपस्थित थे :–

1. श्री अनिल कुमार शर्मा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री विकास मिश्रा, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में प्रभारी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

क्र.	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित/ परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	8670/2021	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	SEAC को पुनः अग्रेषित
2.	9259/2022	1(a)	पत्थर खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
3.	9260/2022	1(a)	बॉक्साईट खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
4.	9256/2022	1(a)	मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	SEAC को पुनः अग्रेषित
5.	9159/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	SEAC को पुनः अग्रेषित
6.	जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला पन्ना			SEAC द्वारा अनुशंसित नहीं	SEAC के निर्णय से सहमत
7.	9246/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	स्पष्टीकरण
8.	9247/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	Close
9.	9248/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	Close
10.	2192/2015	5(f)	ऑर्गेनिंग इण्टरमीडियेट	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरण	स्पष्टीकरण
11.	9171/2022	1(a)	पत्थर खदान	For Relist	Relisted
12.	9190/2022	1(a)	पत्थर खदान	For Relist	Relisted

1. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा परिवेश पोर्टल पर निर्धारित **Online** प्रक्रिया के परिपालन में परियोजना प्रस्तावक से समस्त दस्तावेज **Online** ही प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। **SEAC** द्वारा निम्नलिखित प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी **Offline** प्राप्त की गई है। यह भी उल्लेखनीय है कि

(विकास मिश्रा)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

माननीय न्यायालयों/अधिकरण में विभिन्न विचाराधीन प्रकरणों में भी दस्तावेजों को माननीय न्यायालयों/अधिकरण में प्रस्तुतीकरण के दौरान परिवेश पोर्टल पर दस्तावेजों की ऑनलाईन उपलब्धता होने से सरलता से प्रस्तुतीकरण भी किया जा सकेगा।

अतः प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि **SEAC** द्वारा निम्नानुसार प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक से चाही गई जानकारी **ADS** के माध्यम से परिवेश पोर्टल पर **Online** ही प्राप्त की जाये एवं प्रस्तुतीकरण के दौरान उपस्थित परियोजना प्रस्तावक व अधिकृत पर्यावरण सलाहकार (ऑनलाईन/ऑफलाईन) का नाम अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि का नाम व पदनाम कार्यवाही विवरण में अनिवार्यत अंकित किया जाये। अतः प्रकरणों को **SEAC** को पुनः अग्रेषित कियां जाता है। संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया का परिपालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है। चूँकि उपरोक्त प्रकरणों से संबंधित जिलों की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदित नहीं है। अतः प्राधिकरण द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुमोदन की अनुशंसा पश्चात् प्रकरणों को **SEIAA** को प्रेषित किया जाये।

4	प्रकरण क्र. 9256/2022 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती मीना पटेल पत्नी श्री कुलदीप पटेल, निवासी प्लाट नं. बी/18, कसोदा नगर, मढ़ोताल, बलदेवबाग, जिला जबलपुर (म.प्र.) द्वारा मुरूम खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 11400 घन मीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.20 हेक्टेयर, खसरा 184, ग्राम ऐटाखेड़ा, तहसील जबलपुर, जिला जबलपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।	राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 584वीं बैठक दिनांक 05.07.2022 में अनुशंसित।

उपरोक्तानुसार प्रकरणों में संबंधित जिलों के जिला कलेक्टर को सूचित किया जाये कि SEAC द्वारा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट से संबंधित चाही गई वांछित जानकारी जिला स्तर से सर्वोच्च प्राथमिकता पर सीधे ही SEAC को प्रेषित की जाये एवं इसकी एक प्रति SEIAA को भी प्रस्तुत की जाये। उक्त निर्देशित कार्यवाही के परिपालन में संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं संबंधित परियोजना प्रस्तावकों को भी सूचित किया जाये।

2. भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा परिवेश पोर्टल पर निर्धारित **Online** प्रक्रिया के परिपालन में परियोजना प्रस्तावक से समस्त दस्तावेज **Online** ही प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। **SEAC** द्वारा निम्नलिखित प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी **Offline** प्राप्त की गई है। यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय न्यायालयों/अधिकरण में विभिन्न विचाराधीन प्रकरणों में भी दस्तावेजों को माननीय न्यायालयों/अधिकरण में प्रस्तुतीकरण के दौरान परिवेश पोर्टल पर दस्तावेजों की ऑनलाईन उपलब्धता होने से सरलता से प्रस्तुतीकरण भी किया जा सकेगा।

अतः प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि **SEAC** द्वारा निम्नानुसार प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक से चाही गई जानकारी **ADS** के माध्यम से परिवेश पोर्टल पर **Online** ही प्राप्त की जाये एवं प्रस्तुतीकरण के दौरान उपस्थित परियोजना प्रस्तावक व अधिकृत पर्यावरण

(विकास मिश्रा)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

सलाहकार (ऑनलाईन/ऑफलाईन) का नाम अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि का नाम व पदनाम कार्यवाही विवरण में अनिवार्यत अंकित किया जाये। अतः प्रकरणों को **SEAC** को पुनः अग्रेषित किया जाता है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया का परिपालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है। चूँकि उपरोक्त प्रकरणों से संबंधित जिलों की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। अतः प्राधिकरण द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुमोदन की अनुशंसा पश्चात् प्रकरणों को **SEIAA** को प्रेषित किया जाये।

1	प्रकरण क्र. 8670/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स महादेव स्टोन क्रेशर इन्ड्रस्ट्रियल, पार्टनर, श्री अभय सिंह, निवासी 201, तानसेन, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 23726 घन मीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.332 हेक्टेयर, खसरा 05, ग्राम चिरपुरा, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।	राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 584वीं बैठक दिनांक 05.07.2022 में अनुशंसित।
5	प्रकरण क्र. 9159/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स विजय एंड कंपनी, पार्टनर, श्री अंशुमन राय, निवासी राय भवन, कटनी रोड़, पी.ओ, मैहर, जिला सतना (म.प्र.) द्वारा पत्थर एवं एम–सेण्ड खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 85500 टन प्रतिवर्ष, रकबा 3.610 हेक्टेयर, खसरा 141/2, 142/3, 143/2, 181/2, 182, 183/1, ग्राम तमोरिया, तहसील मैहर, जिला सतना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।	राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 584वीं बैठक दिनांक 05.07.2022 में अनुशंसित।

उपरोक्त संबंधित जिलों के जिला कलेक्टर को सूचित किया जाये कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना 15 जनवरी 2016 व 25 जुलाई 2018 एवं **Sustanable Sand Mining Guidelines 2016** तथा **Enforecemnt and Monitoring Guideline for Sand 2020** के परिप्रेक्ष्य में एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के ओ.ए. 456/2018, 726/2018 में दिनांक 04.11.2020 में दिये गये दिशा–निर्देशों के परिपालन में जिला स्तर पर गठित उपसंभागीय समिति की अनुशंसा एवं जिला पोर्टल पर 21 दिवस की कार्यवाही पूर्ण कर **SEAC** समिति के परीक्षण एवं **SEIAA** कार्यालय को अनुमोदन हेतु 01 माह में प्रेषित की जाये। तदानुसार संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं संबंधित परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

2. प्रकरण क्र. 9259/2022 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती बिनुकुवंर पत्नी श्री हिरेन्द्र सिहं सोंलकी, निवासी मकान न. 97, वार्ड क्र. 07, रावला गली, तहसील आलोट, जिला रतलाम (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 25000 घन मीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 385/2/2, ग्राम जीवनगढ़, तहसील आलोट, जिला रतलाम (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

(विकास मिश्रा)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 584वीं बैठक दिनांक 05.07.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) PP shall plan to construct pakka approach road in place of Kaccha Road and also planning for alternate route for transportation of material outside the village area.

(ii) PP shall ensure that proposed mine shall be part of the new district survey report (DSR) (approved by competent authority) duly certified by mining officer before submission of EIA report.

(iii) PP shall plan plantation along the approach road & periphery on the lease area shall be carried out in consultation with forest department and actual site photographs with all details be made part of EIA report.

(iv) PP shall plan to minimize the ecological damage of the eco system due to mining of hillocks and proper mitigative measures of adverse impacts on the surrounding area (if any).

(v) PP shall plan to comply the minimum distance criteria considered for permitting Stone Quarry by Central Pollution Control Board and directions issued by NGT Principle Bench OA No. 304/2019 (distance criteria for non-blasting is 100 m and for blasting is 200m distance).

(vi) Powder/dust factor related to manual mining must be worked out and displayed in the documents. This will ensure the estimation of suspended particulate matter (SPM) generated and will help in understanding the hazardous effect on mine workers, to evaluate the potential of occupational diseases.

(vii) Global warming potential and carbon foot print of the mining activities and measures for its reduction should be studied and discussed in the EIA along with Energy Efficiency Measures proposed.

(viii) The Methodologies of cluster environment managment plan along with detailed monitoring programme should be formulated and discussed in the EIA along with its implementation plan

(ix) PP shall ensure to prepare plan for utilization of non conventional energy sources as far as possible and incorporate in the EIA study.

(x) EIA should deliberate on the modalities for conforming to emission standards of generator sets as notified in the draft gagette notificiation dated 18-02-2022 of MoEFCC.

(xi) PP shall ensure to incorporate air quality modeling in EIA study.

(विकास मिश्रा)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(xii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु कन्टीन्यूस मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जायें एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामुहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जायें।

(xiii) प्रश्नाधीन खदान के उत्तर–पश्चिम दिशा में 190 मीटर पर रोड़ है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

(xiv) प्रश्नाधीन खदान के पूर्वी दिशा में 770 मीटर पर तालाब है, अतः इनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत की जाये ।

(xv) खदान का मध्य भाग खुदा हुआ है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह वर्ष 2013 से खुदा है, तत्संबंध में विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

(xvi) ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर ग 01 मीटर ग 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल ,का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान निर्धारित किया जाये तथा उसका विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

(xvii) आंवटित खदान क्षेत्र पूर्ण रूप से पथरीला है अतः प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाईल प्रोफाइल के साथ यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा ।

(xviii) प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों व स्टोन केंशरो का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।

(xix) यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।

(xx) रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

(xxi) ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

(विकास मिश्रा)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(xxii) शासकीय भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

उपरोक्तानुसार परियोजना प्रस्तावक एवं संबंधित संस्थाओं को सूचित किया जाये।

3. प्रकरण क्र. 9260/2022 परियोजना प्रस्तावक मध्यप्रदेश स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लि., ब्लाक न. 01 (ए), द्वितीय तल, पर्यावास भवन, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) द्वारा बाक्साईट एवं लेटेराईट खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता बाक्साईट 99643, लेटेराईट 21144 व ओबरवर्डन 2500 टन प्रतिवर्ष, रकबा 21.00 हेक्टेयर, खसरा 03, 07, ग्राम तामर व किरकिरान, तहसील बिरसिंहपुर, जिला सतना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 584वीं बैठक दिनांक 05.07.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) PP shall plan to construct pakka approach road in place of Kaccha Road and also planning for alternate route for transportation of material outside the village area.

(ii) PP shall plan plantation along the approach road & periphery on the lease area shall be carried out in consultation with forest department and actual site photographs with all details be made part of EIA report.

(iii) PP shall plan to minimize the ecological damage of the eco system due to mining of hillocks and proper mitigative measures of adverse impacts on the surrounding area (if any).

(iv) Powder/dust factor related to manual mining must be worked out and displayed in the documents. This will ensure the estimation of suspended particulate matter (SPM) generated and will help in understanding the hazardous effect on mine workers, to evaluate the potential of occupational diseases.

(v) Global warming potential and carbon foot print of the mining activities and measures for its reduction should be studied and discussed in the EIA along with Energy Efficiency Measures proposed.

(vi) PP shall ensure to prepare plan for utilization of non conventional energy sources as far as possible and incorporate in the EIA study.

(vii) EIA should deliberate on the modalities for conforming to emission standards of generator sets as notified in the draft gagette notificiation dated 18-02-2022 of MoEFCC.

(विकास मिश्रा)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(viii) PP shall ensure to incorporate air quality modeling in EIA study.

(ix) खदान के उत्तर–पश्चिम दिशा में 210 मीटर पर आबादी / बसाहट है तथा लीज क्षेत्र के दक्षिण दिशा में 85 मीटर की दूरी पर नहर निकल रही है एवं उत्तर–पश्चिम दिशा में 160 मीटर पर जलाशय है, अतः इनके संरक्षण योजना ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। ,

(x) खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः ट्री इंवेट्री मय प्रजाति का नाम, ऊचाई एवं गर्थ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।

(xi) ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान निर्धारित किया जाये तथा उसका विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

(xii) चूँक खनन् क्षेत्र पहाड़ पर स्थित है, अतः सरफेस रनऑन मैनेजमेंट प्लॉन ई.आई. ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत किया जाये।

(xiii) आवेदित स्थल टाईगर मूवमेंट एरिया से बाहर है, के संबंध में वन मंडला अधिकारी (डी.एफ.ओ) का प्रमाण–पत्र ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

(xiv) प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानो व क्रेंशरो का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट तथा ईको सर्विसेस स्टण्डी (पारिस्थितिक तंत्र सेवा) की जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।

(xv) यदि भू–जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करे ।

(xvi) रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिचार्ज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

(xvii) शासकीय भूमि का वर्तमान लैंड यूज निस्तार की भूमि है, अतः इसके प्रतिपूर्ति उपाय ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

उपरोक्तानुसार परियोजना प्रस्तावक एवं संबंधित संस्थाओं को सूचित किया जाये।

(विकास मिश्रा)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

6. **नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट – पन्ना :–**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 584वीं बैठक दिनांक 05.07.2022 में जिला पन्ना की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में निम्नानुसार सुझाव सहित अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत SEAC की 584वीं बैठक दिनांक 05.07.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि SEAC द्वारा सुझाई की उपरोक्त अनुशंसाओं को नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अद्यतन किया जाकर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 में निर्धारित फार्मेट में संशोधित एवं अद्यतन वांछित जानकारी सीधे ही SEAC को प्रेषित करते हुए SEIAA को भी प्रति प्रस्तुत करें।

तदानुसार जिला कलेक्टर, पन्ना एवं संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म को सूचित किया जाये।

7. **प्रकरण क. 9246/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री सुरेन्द्र सिंह आत्मज श्री विक्रम सिंह उमठ, निवासी ग्राम भीलवाडिया, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 25000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 675, रकबा 2.364 हेक्टेयर, भीलवाडिया, तहसील शाजापुर,, जिला शाजापुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण, श्री जफर कुरैशी आत्मज श्री अब्दुल कुरैशी, निवासी मीरकंला बाजार, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर (म.प्र.) के नाम पर करने हेतु आवेदन।**

(1) नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर फार्म–7 में पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 25000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.364 हेक्टेयर, खसरा 675, ग्राम भीलवाडिया, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर (म.प्र) परियोजना प्रस्तावक श्री सुरेन्द्र सिंह आत्मज श्री विक्रम सिंह उमठ, निवासी ग्राम भीलवाडिया, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर (म.प्र) को जारी पर्यावरण स्वीकृति का हस्तांतरण आवेदन प्राप्त हुआ है।

(2) **यह कि नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–**

I. पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्री सुरेन्द्र सिंह आत्मज श्री विक्रम सिंह उमठ, निवासी ग्राम भीलवाडिया, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर (म.प्र) द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक श्री जफर कुरैशी आत्मज श्री अब्दुल कुरैशी, निवासी मीरकंला बाजार, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर (म.प्र.) के नाम पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है।

II. श्री जफर कुरैशी आत्मज श्री अब्दुल कुरैशी, निवासी मीरकंला बाजार, तहसील शाजापुर, जिला शाजापुर (म.प्र.) द्वारा नोटराईज्ड शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद–विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिशिचित किया जायेगा।

(विकास मिश्रा)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

III. डीईआईएए द्वारा पत्र क्र. डिया/2016/653 दिनांक 30.05.2016 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।

IV. NABET से अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा तैयार की पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।

V. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना की प्रति।

VI. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शाजापुर द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांतरण आदेश क्र. 303 दिनांक 12.04.2017 (वैधता 31.07.2025 तक) की प्रति।

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को लीज दिनांक 12.04.2017 को हस्तांतरित की गई है जिसमें परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से सूचित किया गया है कि उनके द्वारा कोई उत्खनन नहीं किया गया है। उक्त प्रकरण में कलेक्टर, शाजापुर से स्पष्ट अभिमत प्राप्त किया जाये कि लीज हस्तांतरण दिनांक से नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई उत्खनन नहीं किया गया है। परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

8. प्रकरण क. 9247/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री विजय कुमार लुनिया आत्मज श्री जिनदास जी लुनिया, निवासी 69, जैन कॉलोनी, जिला रतलाम (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 42000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 126, रकबा 3.75 हेक्टेयर, ग्राम बिबडौद, तहसील रतलाम, जिला रतलाम (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण, मेसर्स कामधेनू स्टोन एंड सेण्ड पार्टनर, श्री संजय पाटवाला, निवासी 24, टीचर कॉलोनी, रतलाम, जिला रतलाम (म.प्र.) के नाम पर करने हेतु आवेदन।

(1) नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर फार्म–7 में पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 42000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 126, रकबा 4.0 हेक्टेयर, ग्राम बिवडौद, तहसील रतलाम, जिला रतलाम (म.प्र) परियोजना प्रस्तावक श्री विजय कुमार लुनिया आत्मज श्री जिंदास जी लुनिया, निवासी 69, जैन कॉलोनी, जिला रतलाम (म.प्र) को जारी पर्यावरण स्वीकृति का हस्तांतरण आवेदन प्राप्त हुआ है।

(2) **यह कि नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–**

I. पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्री विजय कुमार लुनिया आत्मज श्री जिंदास जी लुनिया, निवासी 69, जैन कॉलोनी, जिला रतलाम (म.प्र) द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स कामधेनू स्टोन एंड सेण्ड पार्टनर, श्री संजय पाटवाला, निवासी 24, टीचर कॉलोनी, रतलाम, जिला रतलाम (म.प्र.) के नाम पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है।

(विकास मिश्रा)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

II. श्री विजय कुमार लुनिया आत्मज श्री जिंदास जी लुनिया, निवासी 69, जैन कॉलोनी, जिला रतलाम (म.प्र.) द्वारा नोटराईज्ड शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद–विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

III. डीईआईएए द्वारा पत्र क्र. 231/डिया–डेफ दिनांक 31.05.2016 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।

IV. NABET से अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा तैयार की पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।

V. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना की प्रति।

VI. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांतरण आदेश क्र. 945 दिनांक 18.12.2019 (वैधता 17.12.2027 तक) की प्रति।

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) रतलाम द्वारा लीज हस्तांतरण आदेश दिनांक 18.12.2019 में लीज एरिया 4.00 हेक्टेयर के स्थान पर 3.75 हेक्टेयर पर पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु आवेदन किया गया है। चूँकि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय की ई.आई.ए अधिसूचना 2006 के पैरा 11 अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण की प्रक्रिया पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित मापदण्ड एवं शर्तों को यथावत रखते हुए आवेदन का नाम परिवर्तन किया जाता है। अतः DEIAA रतलाम द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्र. 231 दिनांक 31.05.2016 एवं इस पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के आवेदन को लीज एरिया में परिवर्तन होने के कारण निरस्त किया जाता है। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये कि पर्यावरण स्वीकृति हेतु परिवेश पोर्टल पर नवीन आवेदन किया जाये। सर्व संबंधितों को सूचित करें।

9. **प्रकरण क्र. 9248/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री वैभव कुमार लुनिया आत्मज श्री अभय जी लुनिया, निवासी 63, जैन कॉलोनी, जिला रतलाम (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 35000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 126, रकबा 3.75 हेक्टेयर, ग्राम बिबडौद, तहसील रतलाम, जिला रतलाम (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण मेसर्स कामधेनू स्टोन एंड सेण्ड पार्टनर, श्री संजय पाटवाला, निवासी 24, टीचर कॉलोनी, रतलाम, जिला रतलाम (म.प्र.) के नाम पर करने हेतु आवेदन।**

(1) नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर फार्म–7 में पत्थर खदान, उत्पादन क्षमता 35000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा नं. 126, रकबा 4.0 हेक्टेयर, ग्राम बिवडौद, तहसील रतलाम, जिला रतलाम (म.प्र) परियोजना प्रस्तावक श्री वैभव कुमार लुनिया आत्मज

(विकास मिश्रा)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

श्री अभय जी लुनिया, निवासी 63, जैन कॉलोनी, जिला रतलाम (म.प्र) को जारी पर्यावरण स्वीकृति का हस्तांतरण आवेदन प्राप्त हुआ है।

(2) **यह कि नवीन परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :–**

I. पूर्व परियोजना प्रस्तावक श्री वैभव कुमार लुनिया आत्मज श्री अभय जी लुनिया, निवासी 63, जैन कॉलोनी, जिला रतलाम (म.प्र) द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक मेसर्स कामधेनू स्टोन एंड सेण्ड पार्टनर, श्री संजय पाटवाला, निवासी 24, टीचर कॉलोनी, रतलाम, जिला रतलाम (म.प्र.) के नाम पर्यावरणीय स्वीकृति हस्तांतरित करने हेतु नोटराईज्ड शपथ पत्र पर अनापत्ति प्रस्तुत की गई है।

II. मेसर्स कामधेनू स्टोन एंड सेण्ड पार्टनर, श्री संजय पाटवाला, निवासी 24, टीचर कॉलोनी, रतलाम, जिला रतलाम (म.प्र.) द्वारा नोटराईज्ड शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उल्लेख किया गया है कि उक्त खदान में आज दिनांक तक कोई भी वाद–विवाद न्यायालय में प्रचलन में नहीं है एवं जारी की गई पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित समस्त शर्तों का परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

III. डीईआईएए द्वारा पत्र क्र. 289/डिया–डेक दिनांक 31.05.2016 के माध्यम से जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति।

IV. NABET से अधिकृत पर्यावरण सलाहकार द्वारा तैयार की पर्यावरण प्रबंधन योजना (EMP) की प्रति।

V. नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना की प्रति।

VI. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रतलाम द्वारा नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम से जारी लीज हस्तांतरण आदेश क्र. 944 दिनांक 18.12.2019 (वैधता 17.12.2027 तक) की प्रति।

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) रतलाम द्वारा लीज हस्तांतरण आदेश दिनांक 18.12.2019 में लीज एरिया 4.00 हेक्टेयर के स्थान पर 3.75 हेक्टेयर पर पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु आवेदन किया गया है। चूँकि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय की ई.आई.ए अधिसूचना 2006 के पैरा 11 अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण की प्रक्रिया पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित मापदण्ड एवं शर्तों को यथावत रखते हुए आवेदन का नाम परिवर्तन किया जाता है। अतः DEIAA रतलाम द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्र. 289 दिनांक 31.05.2016 एवं इस पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के आवेदन को लीज एरिया में परिवर्तन होने के कारण निरस्त किया जाता है। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये कि पर्यावरण स्वीकृति हेतु परिवेश पोर्टल पर नवीन आवेदन किया जाये। सर्व संबंधितों को सूचित करें।

(विकास मिश्रा)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

10. **Case No. 2192/2014 :** Prior Environmental Clearance for proposed expansion of unit for Organic intermédiate at Plot No. 30 AKVN Industrial Area, Tehsil Meghnagar District - Jhabua (MP) Land Area : 2346.24 sq.m. Production Capacity Existing- 500 MT/Year Proposed- 600 MT/Year by Shri Gaurav Khandelwal Partner M/s. Siddhivinayak Enterprises Teacher colony, Rambhalpur Road, Meghnagar, District. Jhabua (MP) – 457779.

उक्त प्रकरण पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु आवेदित है। प्राधिकरण द्वारा प्रकरण के परीक्षण के दौरान यह पाया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व पर्यावरण स्वीकृति प्राधिकरण द्वारा (पत्र क्रमांक 1528 दिनांक 12.10.2018) मेसर्स सिद्धि विनायक के पार्टनर श्री गौरव खंडेलवाल के नाम पर जारी की गई थी। अब मेसर्स सिद्धि विनायक के नए परियोजना प्रस्तावक द्वारा निवेदन किया गया है की पूर्व के पार्टनर कंपनी छोड़ चुके है अतः प्राधिकरण द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति में नए पार्टनर का नाम शामिल करते हुए पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण किया जाये। प्रक्रियानुसार आवेदक द्वारा पार्टनरशिप संबंधित दस्तावेज जमा किया गया है।

उपरोक्त प्रकरण को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु परीक्षण एवं विस्तृत चर्चा के उपरांत यह निर्णय लिया गया की परियोजना में पर्यावरण स्वीकृति दिनांक 12.10.2018 को जारी की गई थी एवं पार्टनरशिप डीड 02.02.19 को रजिस्टर्ड की गई है तो आवेदक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण हेतु आवेदन करने में इतना विलम्ब क्यों हुआ, इसका स्पष्टीकरण करते हुए परियोजना के अधतन स्थिति से प्राधिकरण को अवगत कराये। तदोपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा।

11. **प्रकरण क्र. 9171/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री किशन सिंह चौहान आत्मज श्री नाथू सिंह चौहान निवासी ग्राम साडा तहसील बहोरीबंद जिला कटनी (म.प्र) द्वारा पत्थर खदान, (ओपेनकास्ट सेमी मैकनाईज्ड) उत्पादन क्षमता लेटेराईट 8000 घनमीटर प्रतिवर्ष, ,रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा 412 ग्राम साडा तहसील बहोरीबंद जिला कटनी (म.प्र) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् आवेदन।**

प्रकरण मे SEIAA की 732वी बैठक दिनांक 20.06.2022 में विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया गयाः–

"राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 577वी बैठक दिनांक 11.06.2022 में उक्त प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

.... अतः समिति की अनुशंसा है कि 577वीं दिनांक 11/06/22 एवं समिति की पूर्व की 574वीं बैठक दिनां क 29/05/22 प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए है । समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को 02 प्रस्तुतीकरण के अवसर दिये जाने के बाद भी परियोजना प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित नहीं और न ही उनके द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर समय चाहा गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि परियोजना प्रस्तावक इस प्रोजेक्ट में पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी कार्यवाही करने में रूचि नहीं ली जा रही है। अतः इस प्रकरण को नस्तीबद्ध (Delist) करते हुए सिया को आगामी कार्यवाही हेतु भेजा जाना अनुशंसित है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत SEAC की 577वी बैठक दिनांक 11.06.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण को Delist किया जाता है। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।"

(विकास मिश्रा)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 09.06.2022 के माध्यम से प्रकरण को Relist किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण को Relist किया जाये एवं परीक्षण हेतु SEAC को प्रेषित किया जाये तथा परियोजना प्रस्तावक व संबंधितों को सूचित किया जाये।

12. **प्रकरण क्र. 9190/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री पंकज जोशी, निवासी 2/14, झरनेश्वर काम्प्लेक्स, जवाहर चौक, न्यू मार्किट, जिला भोपाल (म.प्र) द्वारा पत्थर खदान, (ओपेनकास्ट सेमी मैकनाईज्ड) उत्पादन क्षमता लेटेराईट 25080 घनमीटर प्रतिवर्ष, ,रकबा 4.0 हेक्टेयर, खसरा 20/1 ग्राम लीलाखेड़ी, तहसील – जिला सीहोर (म.प्र) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् आवेदन।**

प्रकरण मे SEIAA की 732वी बैठक दिनांक 20.06.2022 में विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया गयाः–

" राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 577वी बैठक दिनांक 11.06.2022 में उक्त प्रकरण में निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

.... अतः प्रकरण आज बैठक कमांक 577वीं दिनांक 11/06/22 एवं समिति की पूर्व की 575वीं बैठक दिनांक 30/05/22 प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए है। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को 02 प्रस्तुतीकरण के अवसर दिये जाने के बाद भी परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित नहीं हुए और न ही उनके द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर समय चाहा गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि परियोजना प्रस्तावक इस प्रोजेक्ट में पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी कार्यवाही करने में रूचि नहीं ली जा रही है। अतः इस प्रकरण को नस्तीबद्ध (Delist) करते हुए सिया को आगामी कार्यवाही हेतु भेजा जाना अनुशंसित है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत SEAC की 577वी बैठक दिनांक 11.06.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण को Delist किया जाता है। परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।"

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 09.06.2022 के माध्यम से प्रकरण को Relist किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श कर सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण को Relist किया जाये एवं परीक्षण हेतु SEAC को प्रेषित किया जाये तथा परियोजना प्रस्तावक व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(विकास मिश्रा)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष